बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (सहरसा) 02–38/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........

दिनांक–08.05.2025 को माननीय विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं एवं अंचल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक के दौरान सहरसा जिले के सोनवर्षा अंचल की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सोनवर्षा अंचल में कुल सर्वेक्षित 2982 भूमिहीन परिवारों में से मात्र 170 को भूमि आवंटित की गयी है एवं 950 परिवारों को भूमि आवंटन के अयोग्य ठहरा दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में सर्वेक्षित परिवारों को अयोग्य ठहराने के संबंध में जब श्री सौरभ कुमार, अंचल अधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा से पृच्छा की गई, तब इस संबंध में श्री कुमार द्वारा जो कारण बताया गया, वह पोर्टल के प्रतिवेदन से भिन्न पाया गया।

2. इस संबंध में विभागीय पत्रांक–722(15) दिनांक–09.05.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–707–02 दिनांक–22.05.2025 में 950 अयोग्य घोषित किये गये परिवारों में से 268 परिवारों को गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया था, ऐसा अंकित किया गया है, जो इनकी कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। पिछले 02 वर्षों से सर्वेक्षण एवं भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई के दौरान अंचल अधिकारी द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई।

3. दिनांक–08.05.2025 की बैठक के बाद दिनांक–09.05.2025 को श्री कुमार द्वारा सभी अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों को Not fit करने का कारण हेतु पत्र निर्गत किया गया, जबकी कारण उन्हें विभागीय वेबसाइट पर ही दिखा दिया गया था। राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण/अयोग्य ठहराने का कारण प्राप्त हुआ या नहीं इसका उल्लेख स्पष्टीकरण में नहीं किया गया।

4. 950 अयोग्य घोषित किये गये परिवारों में से 268 परिवारों को गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया था, इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई, इसका कोई उल्लेख श्री कुमार के स्पष्टीकरण में नहीं है। दिनांक–07.05.2025 को श्री कुमार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा को पत्र प्रेषित की गई, जिसमें 4 राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया, जबकि अंचल अधिकारी के रूप में ये आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा हेतु सक्षम है। इनके द्वारा उक्त कृत के लिए राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र गठित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि यह सारा कृत इनकी सहमती से ही चलायी गई।

5. विभागीय पत्रांक–1355(15) दिनांक–01.08.2025 एवं पत्रांक–1463(15) दिनांक–26.11.2025 द्वारा विभाग स्तर पर श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–16.12.2025 उपलब्ध कराया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण में दर्शाये गये कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

6. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध **"संचयी प्रभाव के बिना दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का शास्ति"** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सौरभ कुमार, अंचल अधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन कार्यालय, शेखपुरा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का शास्ति"** आदेश निर्गत की तिथि से अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (सहरसा) 02–38/2025**–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.............

निबंधित/ ई–मेल

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, सहरसा एवं शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा एवं शेखपुरा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री सौरभ कुमार, अंचल अधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (सहरसा) 02–38/2025**–...595...(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–22/04/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदधिकारी प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री कुमार के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

21/4/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\ashish 2026\Dand order sankalp\saurabh CO sonbarsa.doc

4